

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ
विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य
किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या:...../विकास/2019

दिनांक:.....

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय:-सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

कृपया शासन के पत्र दिनांक-318/सत्तर-4-2021 दिनांक 01.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-1448/सत्तर-4-2020 दिनांक 18.11.2020 के निर्देशानुसार कुल 71 प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये थे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को आवंटित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर एक विश्वविद्यालय से अधिकतम 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को वरीयता के अनुसार भेजे जायें तथा शर्त यह है कि विश्वविद्यालय के विभागों को पूर्व में जो भी धनराशि अवमुक्त की गयी है वह न्यूनतम 70 प्रतिशत उपभोग कर ली गयी हो के प्रस्तावों को पुनः उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावों को वरीयता के अनुसार अधिष्ठाता, शोध के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)

कुलसचिव

पत्रांक 15-2081-85 दिनांक 04/02/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।

2-अधिष्ठाता, शोध, ल०वि०वि०।

3-वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

4-इंचार्ज वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।


कुलसचिव